संख्या-40/2016/333/71-1-2016-जी-214/2013

प्रेषक

जयवीर सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 15 मार्च, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2014/778, दिनॉक 05-02-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैया वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में रू0 7,42,35,000/- (रू0 सात करोड़ बायालीस लाख पैतीस हजार मात्र) की बचत के सापेक्ष मेडिकल कालेज, बदायूँ हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में रू0 7,42,35,000/- (रू0 सात करोड़ बायालीस लाख पैतीस हजार मात्र) पुनर्विनियोग कर व्यय किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
(2) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य की होगी।
(3) महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।
(4) जिस मद में बचत बताते हुए उससे पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उसमें पुनर्विनियोग हेतु आवश्यक धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक का होगा।
(5) महानिदेशक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
(6) व्यय वित्त समिति की शर्तो एं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(7) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा। पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का उपयोग नियमानुसार इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-16-मेडिकल कालेज, बदायूॅ-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9(1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-बी-2/2013-दस-2016, दिनॉक 14 मार्च, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-40/2016/333(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बदायूॅ।
3- नोडल अधिकारी, राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूॅ।
4- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, बदायू।
6- प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।